RIGHT TO INFORMATION

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 1493 **Indore, Dated 19.06.2023**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर (म.प्र.)

प्रति,

श्री दिवाकर जोशी
पिता स्व. श्री नारायण जी जोशी,
पता–गुरूकृपा 11, कबीरमार्ग, होली टेकरा,
भोज विद्यापीठ के पास, धार जिला धार (म.प्र.)
मोबाईल नंबर–8120715302

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 1675 दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 11/2023–2024 दिनांक 16.06.2023 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है:–

"As per application"

आपके द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/– रू शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान–रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है आपने 50 रू. का भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प नं. BM 642358 संलग्न किया हैं। आपके द्वारा रूपये 5/– की दो कोर्ट फीस टिकट आवेदन पर लगाये हैं साथ ही आपने रू. 5/– का खाली पोस्टल लिफाफा जिसपर रू. 10–10/– के दो डाक टिकट चिपके हुए हैं लगाकर व स्वयं का पता लिखकर प्रस्तुत किया हैं जो कि नियमानुसार सही नहीं हैं।
2. यह कि आपके द्वारा भेजे गये रजिस्टर्ड पोस्ट नं.–RI781239150IN लिफाफा प्राप्त हुआ हैं। लिफाफे में आपने लोक सूचना अधिकारी, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर लिखने के बजाय श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय "रेंट कंट्रोल एक्ट" खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.) नाम संबोधित किया है जो कि सही नहीं हैं।
3. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियम 2006 के नियम 3 (2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाना चाहिए, जबकि आपके द्वारा कई सूचनाएं मांगी गई हैं।
4. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) (बी) के अनुसार आपके आवेदन में स्पष्ट और विशिष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं। आपके प्रकरण के संबंध में आपने म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के प्रकरण क्रमांक व पक्षकारों के नाम इत्यादि का उल्लेख नहीं किया हैं।
5. The High Court of Madhya Pradesh [Right to Information] Rules, 2006 के नियम 8 (1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न्यायिक प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिये जबाबदेय नहीं है जो The High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008 के Chapter-XVIII अंतर्गत आवेदक द्वारा न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा (Copying Section) से प्राप्त की जा सकती हैं।

इस प्रकार उपरोक्त कारणों से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा आपके आवेदन को निरस्त किया जा रहा हैं।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इन्दौर) को अपील कर सकते हैं।

संलग्न–रू. 5/– का खाली पोस्टल लिफाफा
जिसपर रू.10–10/– के दो डाक टिकट चिपके हुए हैं।

19.06.23

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

O/C